तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बहुस अंतिम वकील पक्षीकारान सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 24/8/2022 को पेश होवे।
24 8/22	पत्रावली पेश। बहुस वकील पक्षीकारान पर मनन किया। वकील वादी ने दौराने बहुस कथन किया की प्रति. स. 1 की माँ ने वादी के पिता को दिनांक :- 9-1-1964 संवत - 2021 मे 99/- प्रतिफल पर भूमि का बेचान कर दिया था; जब से वादी के पिता व उनकी मृत्यु उपरान्त वादी बहैसियत खातेदार के विवादित भूमि पर काबिलकाश्त चला आ रहा है। उक्त विक्रय पत्र 100/- रूपये से कम का लेख होने से उसके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नही है। अत: विक्रय पत्र के आधार पर हमें खातेदार घोषित किया जावे। वकील वादी के उक्त तथ्यों के खण्डन मे वकील प्रति. स. 1 ने कथन किया की इन्होने कोई नोटीस सरकार व हमे नही दिया है, सीधे ही अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वाद लाये है। इन्होने विवादित भूमि पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेजात पेश नही किये है। विवादित भूमि पर हमारा ही कब्जा काश्त है। हमने इन्हे कभी कब्जा नही सम्भलाया है। वाद खारीज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बूंदी)

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी ने वाद पत्र के समर्थन मे विक्रय पत्र दिनांक - 9-1-1964 पत्रावली मे पेश किया हुआ है, साथही साक्ष्य मे शपथ पत्र स्वंय का पेश किया है। वादी द्वारा विवादित भूमि के कब्जे काश्त बाबत अन्य कोई साक्ष्य / दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये है, ना ही पड़ौसी काश्तकार के बयान / साक्ष्य दर्ज करवाये है। केवल अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है। वादी द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत विनिर्णयों पर प्रकाश डाला गया। उक्त नजीरें वाद पत्र पर चस्पा नही होती है। अनरजिस्टर्ड विक्रम पत्र के आधार पर वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायालय द्वारा नही दिया जा सकता है। इसके लिये वादी सिविल न्यायालय मे चाराजोही कर सकता है।

अतः बाद वादी स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)